



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2018/00749/CR-II

दिनांक: 02.08.2018

सेवा में

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 18.07.2018 इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 27.07.2018 को संख्या CICOM/R/2018/00749 के तहत CPIO RTI Cell से प्राप्त हुआ है। जिसका उत्तर बिंदु अनुसार इस प्रकार है:-।

- 1 डायरी संख्या 172863/2017 दिनांक 20.11.2017 पर सुविधा जापन दिनांक 24.10.2017 (कम्प्यूटर से generated प्रति सलंगन है) जारी किया गया स्पीड पोस्ट ट्रेकिंग न. ED621559542IN दिनांक 30.10.2017 के तहत।
- 2 आपने अपनी RTI आवेदन के Point No. 2 में "संशोधित द्वितीय अपील रिमाइन्डर डायरी संख्या 172863 year 2018 on dated 18.05.2018" का जिक्र किया है। लेकिन कमीशन का सॉफ्टवेयर इस से सम्बंधित कोई भी जानकारी प्रदान नहीं करता है। बल्कि यह सॉफ्टवेयर दर्शाता है कि आप से एक अपील (डायरी संख्या 179485/24.11.2017) प्राप्त हुई थी और जिसे फाइल संख्या CIC/SORLY/A/2017/179485 के तहत पंजीकृत किया गया जिस पर उचित समय पर सुनवाई होगी।
- 3 बिंदु संख्या 3 में चूँकि कोई भी जानकारी नहीं चाही गई अतः कोई भी सूचना प्रदान नहीं की जा सकती।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस, नई दिल्ली 110067।

सलंगन: उपरोक्त

cy

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप-सचिव- /सी पी आई ओ

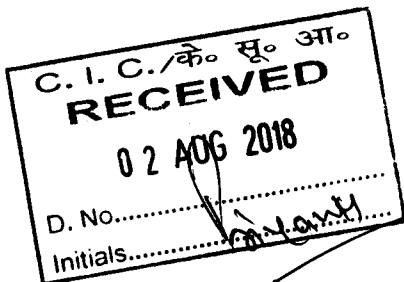
केन्द्रीय रजिस्ट्री -1

Email Id: drcr1@cic.nic.in

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग।

Ar
02/08/18



cy

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप-सचिव- /सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री -1



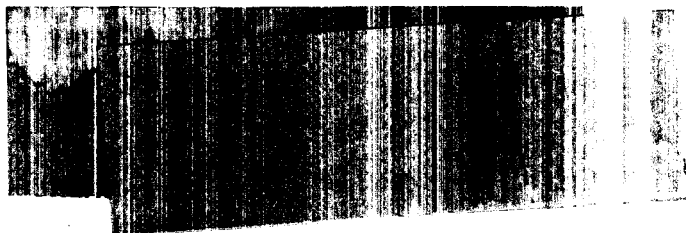
Central Information Commission

CIC Bhawan, Baba Gangnath Marg, Munirka,
New Delhi - 110 067

Diary No: 172863 / 2017

DATE : 24-10-2017

To:



Subject:- Return of your Appeal/Complaint for removal of deficiencies.

Madam/Sir,

Reference your Appeal/Complaint dated 16-10-2017 received on 20-10-2017 vide above Diary Number.

On scrutiny of the Appeal/Complaint, it is seen that the same has the following deficiencies, which are required to be removed as per rule 8 of the RTI Rules, 2012. Hence, it is returned under Rule 9 for removing the deficiencies and refiling the same:

Second Appeal is not in proper format, as per appendix given in rule 8 of RTI rules 2012.

Mandatory Documents for Registration of a Second Appeal case are:-

1. Copy of RTI Application
2. CPIO reply, If Any
3. Copy of First appeal
4. Copy of First Appellate Order, If Any

As such in the absence of RTI Application Dated 17-04-2017, Your case cannot be registered as Second Appeal/ Complaint.

Enclosed as above

Deputy Registrar(CR)